निदेशक, भोजन और आपूर्ति, पंजाब तथा अन्य

बनाम

गुरमित सिंह

अप्रैल 17,2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायमूर्तिगण]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

श्रम विधियाँ:

धारा 10-श्रम न्यायालय को संदर्भ-श्रम न्यायालय द्वारा अधिनियम के लागू नहीं होने तथा दावा करने में 9 साल के विलंब की दलीलों पर निर्णय लिए बिना, कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया गया -उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया-अभिनिर्धारित-श्रम न्यायालय ने क्षेत्राधिकार और विलंब के पहलू पर निर्णय नहीं दिया, श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को अपास्त करते हुए-प्रकरण उपरोक्त पहलुओं पर निर्णय के लिए श्रम न्यायालय को पुनःप्रेषित किया गया-श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार-विलंब/अवधिवाधित।

सिविल अपील सं. 7637/2004 में प्रत्यर्थी को अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 01.06.1985 को चौकीदार के रूप में 400/-रुपये के मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया था। उसकी सेवाओं को 25.8.1986 को समाप्त कर दिया गया था। धारा 10(4) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत किये गये संदर्भ मे श्रम न्यायालय ने कहा कि श्रमिक ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था और सेवा की निरंतरता के साथ उसकी बहाली का निर्देश दिया। नियोक्ताओं की रिट याचिका उच्च न्यायालय

द्वारा खारिज किए जाने के बाद, उनके द्वारा अपील दायर की गई। सिविल अपील सं 6766/2004 और 2608/2004 भी इसी तरह के तथ्यों पर दायर की गई थी।

अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के लागू नही होने और दावा करने में 9 साल के विलंब की दलीलों को निर्धारित करने मे विफल रहे।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, प्रकरणों को श्रम न्यायालय को प्रेषित करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

हस्तगत प्रकरण मे श्रम न्यायालय ने न केवल लंबे विलंब के पक्ष पर विचार नहीं किया अपितू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के लागू नहीं होने के क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को निर्धारित नहीं किया गया। एेसा होने पर, श्रम न्यायालय का आदेश, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया, निरंतर रखे जाने योग्य नहीं है तथा खारिज किया जाता है। श्रम न्यायालय उक्त पहलुओं पर विनिश्चय करेगा। [पैराग्राफ 6 तथा 8]

संदर्भित किये गये-नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य,[2000] 1 एससीसी 371 तथा सपन कुमार पंडित बनाम यू.पी. राज्य वियुत बोर्ड और अन्य [2001] 6 एससीसी 222

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 7637/2004

सिविल रिट याचिका संख्या 17879/2002 मे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के निर्णय और आदेश दिनांकित 11.11.2002 से व्युत्पन्न

के साथ

सिविल अपील संख्या 6766/2004 तथा 2608/2004

अपीलार्थियों की ओर से: कुलदीप सिंह, आर. के. पांडे, संजय कत्याल, टी. पी. मिश्रा और अरुण के.सिन्हा।

प्रत्यर्थी की ओर से: सुरेश कुमारी, दिनेश वर्मा और ए.पी. मोहंती। न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

- 1. इन अपीलों में पंजाब और हिरयाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिये जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है। रिट याचिकाओं में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, पिटयाला (संक्षेप में 'श्रम न्यायालय') द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:
- तीनो अपीलों में विवाद एक समान होने की स्थिति मे, दीवानी अपील संख्या
 7637/2004 की तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपील संख्या 7637/2004

3. श्रम न्यायालय को धारा 10 (1) (सी) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'आई. डी. अधिनियम') के तहत निम्न विवाद के संबंध मे संदर्भ दिया गया था

"क्या गुरमीत सिंह-वर्कमैन की सेवाओं को समाप्त करना उचित है और क्रम में? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?"

कर्मचारी का मामला यह था कि वह वर्तमान अपीलार्थियों के साथ चौकीदार के रूप में शामिल हुआ तथा वहाँ 01.06.1985 से 24.08.1986 तक काम किया। दिनांक 25.08.1986 को उसकी सेवाओं को प्रबंधन द्वारा बिना कोई नोटिस तामील करवाये, कोई भी जांच किये बिना या किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना समाप्त कर दिया गया। उस समय मजदूरी के रूप मे उसे Rs.400/-प्रतिमाह मिल रहा था। वह

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (संक्षेप में 'स्थायी आदेश अधिनियम') के अंतर्गत आता है। प्रबंधन ने उनकी सेवाओं को समाप्त करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। वर्तमान अपीलार्थियों को संदर्भ की सूचना दी गई थी। जवाब दावा मे यह कहा गया था कि दावेदार दैनिक मजदूरी पर चौकीदार के रूप में काम कर रहा था। उसकी सेवाएँ प्रत्येक कार्यदिवस के समापन पर समाप्त हो जाती थी। दावेदार का यह दावा कि उसने 01.06.1986 से 24.08.1986 तक काम किया था, सही नहीं है। अधिशेष होने के कारण दावेदार की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि दावेदार दैनिक मजद्री पर काम करने वाला कर्मचारी था, किसी नोटिस या जांच या मुआवजे की आवश्यकता नहीं थी।। वह समय-समय पर उपायुक्त, संगरूर द्वारा निर्धारित दैनिक मजद्री पर विभाग में काम कर रहे थे। प्रारंभिक आपत्तियों में यह भी अभिवचन किया गया था कि खाद्य और आपूर्ति विभाग में खाद्यान्न भंडार की स्रक्षा के लिए चौकीदारों की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में नियमित वेतनमान प्राप्त करने वाली स्वीकृत संख्या के अनुसार नियमित चौकीदार शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में अस्थायी चौकीदार शामिल हैं। उन्हें रोजगार विनिमय के माध्यम से भर्ती किया जाता है और नियमित चौकीदारों के बराबर वेतन प्राप्त होता है। तीसरी श्रेणी में दैनिक मजद्री वाले चौकीदार शामिल हैं जो संबंधित जिलों के विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। दैनिक मजदूरी पर चौकीदारों की सेवाएँ प्रत्येक कार्य दिवस के समापन के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। उनकी संख्या में बढ़ोतरी/कमी खाद्यान्न के भंडार में बढ़ोतरी/कमी के साथ साथ की जाती है। दैनिक मजदुरी वाले चौकिदारों की सेवाओं को अधिशेष होने पर समाप्त किया गया था। वर्तमान मामले में श्रमिक तीसरी श्रेणी यानी दैनिक मजदूरी वाले चौकीदार से संबंधित था। उनकी सेवाओं को दूसरों के साथ अधिशेष होने पर समाप्त कर दिया गया था। यह भी अभिकथित किया गया कि वर्तमान अपीलार्थियों को एक उद्योग नहीं माना जा सकता है

और आई. डी. अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है। श्रम न्यायालय ने कुछ दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कर्मचारी ने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। दुर्भाग्य से, श्रम न्यायालय ने आई. डी. अधिनियम के लागू नहीं होने के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। यह उल्लेख किया गया था कि कर्मचारी को उसकी सेवाओं की समाप्ति के बाद लाभकारी रूप से नियुक्त किया गया था। तदनुसार, सेवा की निरंतरता के साथ पुनः स्थापना के लिए निर्देश दिया गया था। यह निष्कर्ष मुख्य रूप से इस आधार पर दर्ज किया गया था कि उन्होंने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा की गई दलील पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि दावा 9 साल बाद विलंबित दृष्टिकोण की व्याख्या किए बिना किया गया था।

- 4. उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि भले ही प्रकरण मे विलंबित दृष्टिकोण हो, न्यायालय राहत देने से इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन यह राहत को रुपांतरित सकता है।
- 5. अपीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने ही अपीलार्थीयों की आई. डी. अधिनियम लागू नहीं होने की बुनियादी चुनौती पर ध्यान नहीं दिया। जाहिर है, श्रम अदालत ने आई. डी. अधिनियम के लागू नहीं होने की दलील पर विचार नहीं किया था। जबिक इस तथ्य को यह विशेष रूप से अभिकथित किया गया था। यह सत्य है कि श्रम न्यायालय संदर्भ का उत्तर देने से इंकार नहीं कर सकता था। औद्योगिक विवाद के संबंध मे यथापरिस्थिति न्यायाधिकरण अथवा श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है। धारा 10(4) आई. डी. अधिनियम में उल्लेखित इस बिंदू के संबंध में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य,[2000] 1 एससीसी 371 में यह अभिनिधीरित किया गया कि जहाँ यह आक्षेप है कि एेसा कोई औद्योगिक विवाद नहीं

है, जिसे धारा 10 आई. डी. अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण द्वारा अभिनिर्धारण की विषयवस्तु समझा जा सके, वहाँ उच्च न्यायालय को रिट याचिका की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार औद्योगिक विवाद की मौजूदगी एक क्षेत्राधिकार संबंधी कारक है। जिसके नही होने के परिणामस्वरूप किया गया संदर्भ अमान्य हो जाता है। धारा 10 के तहत न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय को केवल उपयुक्त सरकार द्वारा किये गये संदर्भ पर एक औद्योगिक विवाद का अभिनिर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय विलंब के आधार पर संदर्भ को अमान्य नहीं कर सकता है। यदि नियोक्ता शिकायत करता है कि कर्मचारी ने एक विलंबित जीर्ण दावा किया है तो एक नियोक्ता एक रिट याचिका के माध्यम से संदर्भ को चुनौती दे सकता है और तर्क दे सकता है कि चूंकि दावे में देरी हुई है इसलिए कोई औद्योगिक विवाद नहीं था। न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय इस आधार पर संदर्भ को रद्द नहीं कर सकता है। जैसा कि सपन कुमार पंडित बनाम यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य [2001] 6 एससीसी 222 में विचारित किया गया कि ऐसे मामले हैं जिनमें समय के अंतराल के कारण विवाद निर्बल हो गया था या यहाँ तक समाप्य भी हो गया था। यदि किसी ने भी लंबे अंतराल के दौरान विवाद को जीवित नहीं रखा था, तो किसी विशेष मामले में यह निष्कर्ष निकालना उचित रूप से संभव है कि विवाद कुछ समय के बाद समाप्त हो गया। लेकिन जब विवाद बना रहा, भले ही उसे युक्तियुक्त कारणों से श्रमिकों या श्रमिक संघ द्वारा प्रेरणापूर्ण ढंग से नही चलाया गया हो, विवाद को पूर्ण समाप्य नही माना जा सकता है। निर्णय लेने के लिए लंबी देरी पर निर्णय प्राधिकरण द्वारा राहतों को रुपांतरित समय विचार किया जा सकता है। जो पूरी तरह से एक अलग मामला है।

6. हस्तगत प्रकरण मे श्रम न्यायालय ने न केवल लंबे विलंब के पक्ष पर विचार नहीं किया अपित् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के लागू नहीं होने के क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को निर्धारित नहीं किया गया। एेसा होने पर, श्रम न्यायालय का आदेश, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया, निरंतर रखे जाने योग्य नही है तथा खारिज किया जाता है। श्रम न्यायालय उक्त पहलुओं पर विनिश्चय करेगा। खर्चों के संबंध में बिना कोई आदेश पारित करते हुए के अपील स्वीकार की जाती है।

- 7. सिविल अपील संख्या 7637/2004 में हमारे निष्कर्षों के दृष्टिगत रखते हुए सिविल अपील संख्या 6766/2004 और 2608/2004 भी खर्चों के संबंध में बिना कोई आदेश पारित करते स्वीकार की जाती है।
- 8. प्रकरण श्रम न्यायालय को उपरोक्त बिंदुओं पर अभिनिर्धारित करते हेतु प्रेषित किया जाता है। चूंकि प्रकरण लंबे समय से लंबित है, श्रम न्यायालय प्रकरण को आदेश प्राप्ति के चार माह के भीतर निस्तारित करने के सभी प्रयास करेगा।

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शैलेंद्र राज गोस्वामी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।